उत्तराखण्ड शासन,
गृह अनुभाग–5,
संख्या–265/XX(5)/14–13(हो0गा0)/2003
देहरादूनः दिनांक 25 फरवरी, 2014

'उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष (संशोधन) नियमावली, 2014' प्रख्यापित करते हुये निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती हैः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स एवं जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. महानिदेशक, सूचना देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली–2014 का प्रकाशन दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों तथा शासकीय वेबसाईट के माध्यम से कराने का कष्ट करें।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की हरिद्वार को उक्त संशोधित नियमावली–2014 की हिन्दी प्रति संलग्न करते हुये इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां गृह अनुभाग–5 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(मंजुल कुमार जोशी)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
गृह अनुभाग–5,
संख्या–265/XX(5)/14–13(हो0गा0)/2002
देहरादूनः दिनांक 25 फरवरी, 2014

अधिसूचना

राज्यपाल, "उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली, 2002 में उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष (संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ 1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष (संशोधन) नियमावली, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन 2 उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली, 2002 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है)में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम, 4 के प्रस्तर–क 3, ख तथा (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिये जायंगे, अर्थात –

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एततद्वारा प्रतिस्थापित नियम
क 3 सामान्य ड्यूटी के समय मृत्यु होने की दशा में– रूपये दस हजार मात्र	"**क 3** सामान्य ड्यूटी के समय ड्यूटी स्थल पर आने–जाने के 24 घण्टे के अन्तर्गत मृत्यु होने पर (यदि दुर्घटना बीमा से आच्छादित न हो)– अधिकतम रूपये एक लाख मात्र।
–	**(ख)** ड्यूटी/प्रशिक्षण से सीधे चिकित्सालय में भर्ती होने पर चिकित्सालय में इलाज करने के दौरान मृत्यु होने पर (यदि दुर्घटना बीमा से आच्छादित न हो)– अधिकतम रूपये एक लाख मात्र।"
(4) उपरोक्त विभिन्न श्रेणियों की स्थायी अपंगता की दशा में उक्त श्रेणी के लिए अनुमन्य धनराशि का आधा तथा गम्भीर रूप से घायल होने की दशा में अनुमन्य धनराशि की चौथाई धनराशि सहायता के रूप में दी जायेगी। **ख आपदा हेतु**– होमगार्ड्स अवैतनिक सदस्यों तथा अराजपत्रित वैतनिक सदस्यों की ड्यूटी/प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार की विपत्ति (आपदा) की दशा में	"**(4) (क)** सामान्य ड्यूटी में स्थायी अपंगता होने पर वास्तविक व्यय वाउचर चिकित्सक के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त (यदि दुर्घटना बीमा से आच्छादित न हो)– अधिकतम रूपये पिचहत्तर हजार मात्र।" "**(ख)** सामान्य ड्यूटी में घायल होने पर वास्तविक व्यय वाउचर चिकित्सक के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त (यदि दुर्घटना बीमा से आच्छादित न हो)– अधिकतम रूपये पचास हजार मात्र।" "**(ग)** गम्भीर एवं असाध्य बीमारी होने पर वास्तविक व्यय वाउचर चिकित्सक के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त (यदि दुर्घटना बीमा से आच्छादित न हो)– अधिकतम रूपये पचास हजार मात्र।" " **ख** प्राकृतिक आपदा होने पर सम्बन्धित अधिकारी की संस्तुति व आकलन के आधार पर अधिकतम रूपये पचास हजार मात्र।"

एक बार की एकमुश्त सहायता जो अधिकतम रू0 1,000/– होगी।

नये नियम का जोडा जाना

3 मूल नियमावली के नियम, ख के पश्चात एक नया नियम ख 1 जोड दिया जायेगा, अर्थात–

"**ख 1** अधिवर्षता आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर सेवानिवृति के दौरान न्यूनतम 10 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा– अधिकतम रूपये पचास हजार मात्र"

(मंजुल कुमार जोशी)
सचिव।